

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 135/2019

निर्णय दिनांक 27.6.19

उनवान

1. जगदीश पुत्र सोन्या
2. रामकुंवार पुत्र सोन्या
3. तोफा देवी पत्नी रामधन
4. कैलाश चन्द पुत्र रामधन
5. मोहर सिंह पुत्र रामधन
6. गंगासहाय पुत्र रामधन
7. विष्णु कुमार पुत्र रामधन समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हिंगोटी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. लादूराम पुत्र घासीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम हिंगोटी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थी ग्राम यादगारपुरा तहसील कोटखावदा में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.12 है0 खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 319 रकबा 0.19 है0 खसरा नम्बर 342/2 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 346 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 348 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि वाके ग्राम हिंगोटी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित व दर्ज है। अब प्रार्थी सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिये प्रार्थी ने सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किया जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार अनुसार सीमा पर विवाद है अतः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवा सकती




उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

सरकार अनुसार सीमा पर विवाद है अतः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की जा सकती बावत रिपोर्ट आने पर वकील प्रार्थी को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा खसरा नम्बर 317 रकबा 0.12 है0 खसरा नम्बर 318 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 319 रकबा 0.19 है0 खसरा नम्बर 342/2 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 346 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 348 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि वाके ग्राम हिंगोटी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर की भूमि का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौंसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश सीमाज्ञान व पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्मलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार व थानाधिकारी कोटखावदा को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस0डी0एम0) चाकसू